

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024/पार्ट-42807

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	रेणु शर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर	रिक्त पद पर

आज्ञा से

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय।
- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
- उपरोक्त संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर स्थिति में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें।
- एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Ankit Raman
Designation: Joint Secretary
Date: 2026.01.09 15:27:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19848338

eSign 1.0

